संख्या-116/2022/2525/26-3-2022-1(14)/2021

प्रेषक,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊः दिनांकः 31 अक्टूबर, 2022

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्व नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) मूसेपुर, जनपद-आजमगढ़ के भवन मरम्मत कार्य हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-3036-38/स0क0/ए0टी0एस0-सेल (29)/ बेवर-मैनपुरी/2022-23, दिनांक-24.09.2021 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्व नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) मूसेपुर, जनपद-आजमगढ़ के भवन मरम्मत कार्य हेतु उपभोग प्रमाण पत्र, गुणवत्ता प्रमाण पत्र एवं रंगीन फोटोग्राफ्स उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि रू0-272.84 लाख स्वीकृत किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है।

2- वित्तीय वर्ष 2019-20 में प्रायोजनान्तर्गत शासनादेश संख्या-125/2019/2021/ 26-3-2019, दिनांक-10.05.2019 द्वारा जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्व नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) मूसेपुर, जनपद-आजमगढ़ के भवन मरम्मत कार्य हेतु आगणित लागत रू0-297.84 लाख की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुये कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) को प्रथम किश्त के रूप में रू0-25.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गयी थी। तत्क्रम में कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) द्वारा उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र निदेशालय, समाज कल्याण के पत्र दिनांक-24.09.2021 के माध्यम से उपलब्ध कराया गया है।

3- उक्त पृष्ठभूमि में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक-2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष जय प्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय (पूर्व नाम राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय) मूसेपुर, जनपद-आजमगढ़ के भवन मरम्मत कार्य हेतु द्वितीय किश्त के रूप में अवशेष धनराशि रू0-272.84 लाख (रूपये-दो करोड़ बहत्तर लाख चौरासी हजार मात्र) की वित्तीय स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबंधों के अधीन सहर्ष प्रदान करते हैं-

(1)-निदेशक, समाज कल्याण द्वारा कार्यदायी संस्था प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0) के साथ अनुबन्ध

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

निष्पादित करते हुये स्वीकृत की जा रही धनराशि तत्काल कोषागार से आहरित कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी।

(2)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय/उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया जायेगा, जिसके लिए स्वीकृत की जा रही है, इससे इतर व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी, जिसका उत्तरदायित्व निदेशक, समाज कल्याण का होगा।

(3)-उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों, समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।

(4)-स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय विद्यमान नियमों का अनुपालन करते हुये सुनिश्चित किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन व महालेखाकार को नियमानुसार उपलब्ध कराया जायेगा।

(5)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो का निर्धारित ससमय में पूर्ण कर लिया जाये।

(6)-उक्त प्रायोजना के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यो की द्विरावृत्ति को रोकने की दृष्टि से यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि यह कार्य पूर्व में अन्य/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।

(7)-धनराशि आहरित कर पी0एल0ए0 अथवा बैंक/डाकघर खाता में नही रखी जायेगी।

(8)-यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रश्नगत कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित नहीं है तथा इस हेतु पूर्व में अन्य योजना/स्रोत से धनराशि स्वीकृत नहीं की गयी है।

(9)-धनराशि का आवंटन बजट प्राविधान के सापेक्ष धनराशि की उपलब्धता की स्थिति में ही किया जायेगा।

(10)-उक्त प्रायोजन की सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात कार्य प्रारम्भ कराया जाये। उक्ता कार्य की मात्राओं के सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होंगे।

4- उपर्युक्त पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्षक- ''2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना-09-राजकीय छात्रावासों/राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालयों का अनुरक्षण-29-अनुरक्षण मद' ' के नामे डाला जायेगा।

उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक 07.06.2022 में उल्लिखित प्राविधानों के अधीन निर्गत की जा रही है।

भवदीय,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

पृसं0-116/2022/2525(1)/26-3-2022 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।

3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।

5- जिलाधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी, आजमगढ़।

6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।

7- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण, उ0प्र0 लखनऊ।

8- प्रबंध निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि0, लखनऊ (यू0पी0सी0एल0डी0एफ0)।

9- निदेशक, एन0आई0सी0।

10- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।